राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1080/2016

अंजु मुबारसा

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री वी.के. अग्रवाल

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव रांका

सुश्री वंदना भंसाली, एजीसी के लिए।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

18/04/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत विज्ञापन-2013 के अनुसरण में जारी दिनांक 05.01.2016 की अंतिम चयन सूची (अनुलग्नक 13) से उत्पन्न हुई है, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सूचीबद्ध नहीं था क्योंकि प्रतिवादियों ने उसे उसके अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार 15 बोनस अंक प्रदान नहीं किए हैं। इसके अलावा, वह अपने समकक्षों को दिए जाने वाले सभी परिणामी लाभों के साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) (एएनएम) के पद पर नियुक्ति चाहती है।

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए दिनांक 26.02.2013 को एक विज्ञापन ऑनलाइन प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार याचिकाकर्ता ने इसके लिए आवेदन किया।

2.1 दिनांक 10.06.2013 के आदेश (अनुलग्नक 4) के अनुसार, प्रतिवादियों ने दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों की एक सूची जारी की, जिसमें

याचिकाकर्ता का नाम भी शामिल था। इसके अनुसार, याचिकाकर्ता उपस्थित हुई और उसके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।

2.2 याचिकाकर्ता ने माध्यमिक विद्यालय में 50.36% अंक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की परीक्षा में 63.90% अंक प्राप्त किए, जिसमें उपरोक्त दोनों परीक्षाओं में औसत 57.13% था, इन अंकों का 85 प्रतिशत 48.56% होता है। विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.10.2015 के अनुसार एक वर्ष के अनुभव पर 5 बोनस अंक, दो वर्ष के लिए 10 अंक तथा तीन वर्ष के लिए 15 अंक दिए जाने थे। परंतु याचिकाकर्ता को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया।

2.3 अंतिम कट-ऑफ सूची 28.12.2015 को जारी की गई थी। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 53.344 थी और याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे बोनस अंकों सहित 57.13% अंक मिलने चाहिए थे। हालाँकि, उसका नाम अंतिम चयन सूची में नहीं दिखाया गया था। इसलिए, यह याचिका।

3. उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर में लिया गया बचाव अनिवार्य रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि केवल उन उम्मीदवारों को कार्य अनुभव के लिए बोनस अंक दिए जाने चाहिए, जिन्होंने सरकार या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी या मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष या एआईआईडीएस नियंत्रण सोसाइटी या राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के तहत समान कार्य (प्रश्नाधीन पद के समान) किया है। प्रतिवादियों द्वारा दायर उत्तर के पैरा संख्या 3 का संदर्भ लिया जा सकता है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और मामले के रिकॉर्ड को देखा है।

5. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता के कार्य अनुभव पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन जिस बात पर सवाल उठाया गया है, वह यह है कि उसने महिला अधिकारिता प्राधिकरण में काम किया है, और इस प्रकार उसे इस आधार पर लाभ देने से मना कर दिया गया कि उसका कार्य अनुभव उत्तर के पैरा संख्या 3 में उल्लिखित किसी भी विभाग/सरकार में नहीं है।

6. प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत उत्तर और याचिकाकर्ता के बोनस अंक देने के दावे को खारिज करते समय बताए गए कारणों में यह रहस्य बना हुआ है कि यह पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए कि महिला अधिकारिता प्राधिकरण, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने ऊपर वर्णित अनुसार काम किया था, सरकार के तत्वावधान में नहीं है।

7. स्वीकृत स्थिति यह है कि जिन लोगों ने सरकार के साथ कार्य अनुभव प्रस्तुत किया है, उन्हें सेवा की अवधि के आधार पर उनकी पात्रता के अनुसार बोनस अंकों का लाभ दिया जाना चाहिए।

8. इस आधार पर, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के निर्देश के साथ किया जाता है। यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के तत्वावधान में था, तो उसे उसकी पात्रता के अनुसार बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा।

9. प्रतिवादियों को यह सत्यापित करने की भी स्वतंत्रता होगी कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया कार्य संबंधित पद के लिए समान प्रकृति का था, जैसा कि विज्ञापन के अनुसार आवश्यकता है।

10. यह पता चलता है कि न्यायालय के विचाराधीन रहने के दौरान एक अंतरिम आदेश के तहत संबंधित विज्ञापित पद को रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन नहीं भरने का निर्देश दिया गया था।

11. यदि याचिकाकर्ता योग्य और पात्र पाई जाती है तो उसे उक्त पद का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, वह 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर नौकरी से बाहर रहने की अवधि के लिए किसी भी वित्तीय लाभ की हकदार नहीं होगी, लेकिन उसे उसके समकक्षों के बराबर आभासी लाभ दिए जाएंगे, जिन्हें उसी चयन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया था।

12. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश की वेब प्रिंट के साथ उनसे संपर्क करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।